

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :-

दिनांक :

--: सीमित निविदा ::--

जोधपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र के लिये तैयार किया गया प्रारूप मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 दिनांक 27.09.2013 को आपत्ति सुझाव हेतु जारी किया गया था। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति सुझाव एवं कमिटेन्ट्स को दृष्टिगत रखते हुए एवं डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) को अंतिम रूप दिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य जी.आई.एस. एक्सपर्ट/कन्सलटेंट के माध्यम से करवाये जाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	युनिट	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक	समयावधि
1.	(1) जोधपुर शहर के मास्टर प्लान 2023 में दर्शाये गये आमोद प्रमोद क्षेत्र (पार्क, खुला क्षेत्र आदि) तथा सार्वजनिक - अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र (चिकित्सा, शैक्षणिक, सुविधा क्षेत्र आदि) को मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में सुपरईम्पोज करना। उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की दोनों मास्टर प्लानों में दर्शाये अनुसार अलग-अलग सूची तैयार करना। मास्टर प्लान 2023 के रोड नेटवर्क को मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में सुपरईम्पोज करना। (2) परिशिष्ट 'ए' के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में पूर्व में किये जा चुके भू-उपयोग परिवर्तनों को सुपरईम्पोज करना। (3) मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031(प्रारूप) में दर्शित रिग रोड के अलाइनमेंट की मौका स्थिति अनुसार परीक्षण किया जा कर अलाइनमेंट को तदनुसार सही किया जाना।	1.00	1 जॉब	17.06.2020 को 1:30 PM बजे 25	17.06.2020 को दोपहर 2.00 बजे खोली जायेगी	07 दिन

शर्त :-

- उक्त कार्य की सीमित निविदा मे सलंगन 'एच' अनुसुची में दरें प्रस्तुत करनी होगी
- निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरो मे समस्त प्रकार के करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।
- अन्य शर्तें एवं अनुसुची इत्यादि कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है।
- उक्त कार्य की सीमित निविदा के अन्तर्गत सफल निविदादाता को कार्य निष्पादन हेतु मास्टर प्लान 2031 प्रारूप की उपलब्ध सॉफ्ट कॉपी एवं लेण्ड युज प्लान 2023 की हॉर्ड कॉपी/ सॉफ्ट कॉपी एवं भू-उपयोग परिवर्तन का आवश्यक डेटा आयोजना शाखा द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत मानचित्र (प्रत्येक की 5 प्रतियां) एवं ओटोकेड व जी.आई.एस. फोरमेट में सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. निदेशक आयोजना को प्रस्तुत करने का कार्य भी शामिल है।
- निदेशक आयोजना द्वारा उक्त कार्य का परीक्षण किया जा कर कार्य में संशोधन वांछित नहीं होने की सुनिश्चितता की जायेगी।
- सफल निविदादाता को प्राधिकरण द्वारा कार्यदेश जारी किया जायेगा। सेवा प्रदाता को उक्त कार्य का एकमुश्त भुगतान निदेशक आयोजना द्वारा कार्य का प्रमाणिकरण होने के उपरान्त किया जायेगा।
- निविदादाता के पास निम्न योग्यता होनी अपेक्षित है निविदादाता योग्यता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(ए) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/ रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स मे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नानतकोतर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायो मे अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र मे निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव
(बी) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/ रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स मे डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित थियो मे अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र मे निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव
- अनुबंधित अनुमोदित फर्म/ एजेन्सी द्वारा, निविदा संबंधित कार्य किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं किया जायेगा
- सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओं से संबंधित कर्मियों का शैक्षणिक/ अनुभव बाबत दस्तावेज/ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- सफल निविदादाता को कार्यदेश देने पर दी गई समय सीमा मे आवश्यकतानुसार सेवाए उपलब्ध करानी होगी। विलम्बित अवधि के लिये प्रतिदिन 500/- रु. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।
- कार्य सम्पादन के दौरान किसी को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कन्सलटेन्ट फर्म की होगी एवं कार्य सम्पादन अवधि के दौरान फर्म के संबंध / संदर्भ मे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ईएसआई करवाने/ सामुदायिक दुर्घटना, बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबंधित फर्म का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा मे किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।

क्रमांक : 84-88
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ प्रेषित है :-

- श्रीमान निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- श्रीमान सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- श्रीमान निदेशक अभियांत्रिकी/ वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को मय निविदा के प्रेषित कर लेख है कि कृपया संलग्न समिति www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईट पर तुरन्त प्रदर्शित करे।
- मैं,
- मैं,
- मैं,

अधिशारी अभियता
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
दिनांक : 9/6/2020

अधिशारी अभियता
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR


H' SCHEDULE

कार्य का नाम :- मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 को अंतिम रूप देने हेतु जी.आई.एस. एकसपर्ट/कन्सलटेंट के माध्यम से तैयार करने बाबत।

क्र.सं	कार्य का नाम	मात्रा	युनिट	दर (रूपये में)
1	1) जोधपुर शहर के मास्टर प्लान 2023 में दर्शाये गये आमोद प्रमोद क्षेत्र (पार्क, खुला क्षेत्र आदि) तथा सार्वजनिक - अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र (चिकित्सा, शैक्षणिक, सुविधा क्षेत्र आदि) को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में सुपरईम्पोज करना। उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की दोनों मास्टर प्लानों में दर्शाये अनुसार अलग-अलग सूची तैयार करना। मास्टर प्लान 2023 के रोड नेटवर्क को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में सुपरईम्पोज करना।	1.00	Job	
2	(2) परिशिष्ट "ए" के अनुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में पूर्व में किये जा चुके भू-उपयोग परिवर्तनों को सुपरईम्पोज करना।	1.00	Job	
3	(3) मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में दर्शित रिंग रोड के अलाईनमेंट की मौका स्थिति अनुसार परीक्षण किया जा कर अलाईनमेंट को तदनुसार सही किया जाना।	1.00	Job	
योग (शब्दों में)				
योग (अंकों में)				

शर्त :-

1. उक्त कार्य की सीमित निविदा में सलग्न 'एच' अनुसूची में दरें प्रस्तुत करनी होगी
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दरों में समस्त प्रकार के करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।
3. अन्य शर्तें एवं अनुसूची इत्यादि कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं।
4. उक्त कार्य की सीमित निविदा के अन्तर्गत सफल निविदादाता को कार्य निष्पादन हेतु मास्टर प्लान 2031 प्रारूप की उपलब्ध सॉफ्ट कॉपी एवं लेण्ड युज प्लान 2023 की हॉर्ड कॉपी/ सॉफ्ट कॉपी एवं भू-उपयोग परिवर्तन का आवश्यक डेटा आयोजना शाखा द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
5. उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत मानचित्र (प्रत्येक की 5 प्रतियाँ) एवं ओटोकेड व जी.आई.एस. फोरमेट में सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. निदेशक आयोजना को प्रस्तुत करने का कार्य भी शामिल है।
6. निदेशक आयोजना द्वारा उक्त कार्य का परीक्षण किया जा कर कार्य में संशोधन वांछित नहीं होने की सुनिश्चितता की जायेगी।
7. सफल निविदादाता को प्राधिकरण द्वारा कार्यादेश जारी की जायेगा। सेवा प्रदाता को उक्त कार्य का एकमुश्त भुगतान निदेशक आयोजना द्वारा कार्य का प्रमाणिकरण होने के उपरान्त किया जायेगा।
8. निविदादाता के पास निम्न योग्यता होनी अपेक्षित है निविदादाता योग्यता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
(ए) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नानतकोतर की उपाधि के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायो में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव
(बी) जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम/रिमोट सेन्सिंग जियोइन्फोर्मेटिक्स में डिप्लोमा के साथ जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम के क्षेत्र व सॉफ्टवेयर में कार्य का संबंधित निकायो में अथवा उल्लेखित कार्य क्षेत्र में निजी स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव
9. अनुबंधित अनुमोदित फर्म/एजेन्सी द्वारा, निविदा संबंधित कार्य किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं किया जायेगा
10. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली, सेवाओं से संबंधित कर्मियों का शैक्षणिक/अनुभव बाबत दस्तावेज/पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा।
11. सफल निविदादाता को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में आवश्यकतानुसार सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी। विलम्बित अवधि के लिये प्रतिदिन 500/- रु. की दर से पैनल्टी राशि वसूली योग्य होगी।
12. कार्य सम्पादन के दौरान किसी को कोई शारीरिक एवं मानसिक क्षति होती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कन्सलटेंट फर्म की होगी एवं कार्य सम्पादन अवधि के दौरान फर्म के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामुदायिक दुर्घटना, बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबंधित फर्म का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में किसी भी शर्त को जोड़ने या हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।


 अधिशापी सचिवता
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Signature of contractor